



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] No. 256] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2003/ज्येष्ठ 14, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2003/JYAISTHA 14, 1925

भारतीय रिजार्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 23 मई, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 453(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा10/2000—आर.बी. में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
 - (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
 - (ख) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- 2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000, में

- (क) विनियम 5ए के उपविनियम (1) में, खण्ड (ध) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः :—
 - ''(ङ) नजदीकी रिश्तेदार से उपहार स्वरूप;

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'नजदीकी रिश्तेदार' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित रिश्तेदार अभिप्रेत है।

- (च) माल/सेवाओं के निर्यात द्वारा अर्जन अथवा रॉयल्टी, मानदेय स्वरूप अथवा किसी अन्य विधिमान्य तरीके से;
- (छ) भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रायोजित एडीआर∕जीडीआर योजना के अन्तर्गत शेयरों के परिवर्तन पर निवासी खाताधारी द्वारा धारित शेयरों के विनिवेश से प्राप्त आय।''
- (ख) अनुसूची में पैरा 2 में खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामत: :—

''(v) भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रायोजित एडीआएजीडीआर योजना के अन्तर्गत शेयरों के परिवर्तन पर निवासी खाताधारी द्वारा धारित शेयरों के विनिवेश से प्राप्त आय।''

[सं. फेमा/90/2003-आर.बी.] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA (Exchange Control Department) NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd May, 2003

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Third Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Third Amendment) Regulations, 2003.
- (b) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Persoff Resident in India) Regulations, 2000.

- (a) In Regulation 5A, in sub-regulation (1), after clause (d), the following clauses shall be added, namely:—
 - "(e) as gift from a close relative;
 - Explanation: For the purpose of this clause, "close relative" means relatives as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956.
 - (f) by way of earning through export of goods/services, or as royalty, honorarium or by any other lawful means;
 - (g) representing the disinvestment proceeds received by the resident accountholder on conversion of shares held by him to ADRs/DGRs under the Sponsored ADR/GDR Scheme approved by the Foreign Investment Promotion Board of Government of India."
- (b) in the Schedule, in paragraph 2, after clause (iv), the following clause shall be added, namely:—
 - "(v) representing the disinvestment proceeds received by the resident accountholder on conversion of shares held by him to ADRs/GDRs under the Sponsored ADR/GDR Scheme approved by the Foreign Investment Promotion Board of Government of India."

[No. FEMA/90/2003-RB] K. J. UDESHI, Executive Director